

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 629]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2014—पौष 5, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

अधि. क्र. 124-एफ-1-10-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 48-ख तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 72-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) “मोहल्ला” से अभिप्रेत है नगरपालिक निर्वाचन के प्रयोजन के लिए गठित किसी मतदान केन्द्र का प्रादेशिक क्षेत्र,”;

2. नियम 3 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) नगरपालिका अधिकारी, नियम 4 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी मोहल्ले के प्रादेशिक क्षेत्र के कम से कम 10 प्रतिशत निवासियों से, जो नगरपालिक निर्वाचन हेतु प्रकाशित मतदाता सूची में पंजीबद्ध हैं, नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मोहल्ला समिति का गठन कर सकेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्र. 124-एफ-1-10-2014-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 124-एफ-1-10-2014-अठारह-3, दिनांक 26 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 26th December 2014

Not. No. 124-F-1-10-2014-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 48-B of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with Section 72-B of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Mohalla Committee (Constitution, Functions and Conduct of Business) Rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) “Mohalla” means the territorial area of a polling booth constituted for the purpose of Municipal elections;”

2. In rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The Municipal officer may, on receiving an application under sub-rule (2) of rule 9, by at least ten percent residents of the territorial area of a Mohalla, who are registered in the voter list published for Municipal elections, constitute a Mohalla Committee for achieving the objects specified in rule 4.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.